

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6/अ0-03-18/2021

पटना, दिनांक:—

श्रीमती ताविषी प्रिया, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को निम्न अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 13.08.2024 से 17.08.2024 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश।

2. बिहार सेवा संहिता के नियम 180 एवं 236 के तहत दिनांक 18.08.2024 से 16.09.2024 तक शेष 30 दिनों का असाधारण अवकाश।

उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती प्रिया के अवकाश लेखा में (05-05=00) शून्य दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-18/2021/1234

पटना, दिनांक:—13/04/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हाजीपुर (वैशाली)/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा/अंचल प्रभारी, हाजीपुर अंचल, हाजीपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त—सह—नोडल पदाधिकारी, एच0 आर0 एम0 एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त—सह—एच0आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती ताविषी प्रिया, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।